बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6ए0/प्रा0–1021/2018 – 1298   पटना – 15 ,दिनांक :–27/6/18

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषय – राज्य योजना अन्तर्गत पटना जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पश्चिम में पूर्व से निर्मित पुनपुन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु 94.503 लाख रू0 (चौरानबे लाख पचास हजार तीन सौर रू0 मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश – राज्य योजना अन्तर्गत पटना जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पश्चिम में पूर्व से निर्मित पुनपुन ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु 94.503 लाख रू0 (चौरानबे लाख पचास हजार तीन सौ रू0 मात्र) की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. इन योजनाओं के मुख्य अवयव पाईप लाईन का विस्तार कर योजना से आच्छादित वार्ड संख्या– 8, 9, 10, 11, 12 एवं 14 में गृह जल संयोजन का कार्य तथा योजना का पाँच वर्षों के लिए संचालन एवं रख–रखाव (विद्युत ऊर्जा पर व्यय सहित) का कार्य किया जाना है।

3. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0106–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215011020106 – विषय शीर्ष – 0106.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण तथा (II) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0104– मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017890104 – विषय शीर्ष – 0104.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारित्व्य होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पश्चिम होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी पटना कोषागार से की जायेगी / बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

5. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

7. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या – एम4–53/2007/3758 /वि0 दिनांक – 31–05–17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

10 प्रति

8. वर्ष 2018–19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

9. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 6ए0/प्रा0–1021/2018 – 1298 पटना – 15 ,दिनांक :– 22/6/18

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा – 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पश्चिम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव
22/6/18